ई0–मेल

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध
अनुस्मारक

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
620–इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

पत्रॉक 2166/अ0सं0क0नि0–1073/रा0पो0छात्र0/आधार लिंकेज/2018 दिनांक 03 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2020

विषय–: छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0–2548/अ0सं0क0नि0–1073/रा0पो0छात्र0/आधार लिंकेज/2018 दिनांक 30.12.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 16.05.2019, पत्र दिनांक 23.05.2019 एवं पत्र दिनांक 13.12.2019 के कम में द्वारा सोशल सेक्टर के अधीन विभाग में संचालित राज्य पोषित पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही ऑन–लाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत सोशल सेक्टर के अधीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संचालित राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना में भी समान रूप से, सम्बन्धित छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से ऑन–लाइन मिलान किया जायेगा। यदि उक्त डेटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकतें हैं। जिनके शुद्धिकरण (Update) कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी।

अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक है कि योजनान्तर्गत भविष्य में छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन किये जाने की स्थिति में अध्यनरत छात्रों को तथा उनके माता–पिता एवं जनपद में स्थित शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना आवश्यक है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से समय से शुद्ध करा लें।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर ऑन–लाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सब्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकिया में छात्र द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है:–

1– सभी छात्रों के पास आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नही हैं उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।

2– जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। तत्कम में आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें।

Kindly upload on Student portal with subject "Notice for Aadhar no update for minority scholarship"
Chauhan 01/7/2020

संकाय प्रभारी (छात्रवृत्ति)
30.6.2020

3– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता–पिता/पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता का नाम अपडेट करा लें।

4– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।

5– आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लें।

अतः उपरोक्त के कम में आपको पुनः अनुस्मारित कराते हुए निर्देशित किया जाता हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन की मंशा के अनुरूप उक्त कार्यों के सफल कियान्वयन हेतु अपने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराने एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिशित करें।

कृपया इसे अभीष्ट प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

(मनोज सिंह)
निदेशक

पृष्ठॉकन संख्या व दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) तृतीय तल योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त उप निदेशक/मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

(मनोज सिंह)
निदेशक